न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 137/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/221

प्रार्थी :–
गोरधनलाल पुत्र बस्तीराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बाबुलाल विश्नोई प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 15.05.2024

''आदेश''

दिनांक : 30.09.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम पीपाड़ शहर की सरहद में अन्य खसरों के साथ खसरानम्बर 1305 की भूमि बीजाराम पुत्र बेणाराम के सहखातेदारी में बहिस्सा 1/3 आई हुई थी जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त बींजाराम ने खसरा नम्बर 1305 में से 1 बीघा । बिस्वा भूमि बहिस्सा 1/2 प्रार्थी एवं बहिस्सा 1/2 प्रार्थी के भाई जवरीलाल, राजाराम, अमृतलाल तथा भागचन्द को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 19.07.1971 को कर दी। उक्त बेचाननामे के आधार तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 882 के जरिये क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी। उक्त चौसाला के नामान्तरकरण सम्वत माध्यम से जमाबन्दी 2031 से 2034 में उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज भी कर दिया लेकिन लिपिकीय त्रुटी से अगले चौसाला सम्वत 2035 से 2038 में जमाबन्दी चौसाला 2031 से 2034 में जो अंकन किया था उसकी परिविष्ठी होने से रह गई जिसके परिणामस्वरूप आगे की जमाबन्दीयों में क्रेताओं के नाम दर्ज नहीं हो पाये। उक्त गलती लिपिकीय गलती रही हैं जिसको किसी भी समय शुद्धि की जा सकती हैं। प्रार्थी ने उक्त त्रुटी के शुद्धिकरण के लिए तहसीलदार महोदय पीपाड़शहर से भी निवेदन किया परन्तु तहसीलदार महोदय ने प्रविष्ठी पुरानी होने के कारण प्रार्थना पत्र पर गौर करने से इंकार कर दिया इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। उक्त बेचानकर्ता बीजाराम फौत हो चुके हैं उनके जगह उनके पुत्र जसाराम व कानाराम का नाम इन्द्राज किया एवं उक्त दोनो ही पुत्र जसाराम व कानाराम भी फौत हो गये हैं। जसाराम की जगह उनके पौत्र, पौत्रियें व पुत्रवधु वर्तमान में चेनाराम, महेन्द्रसिंह, श्रवणराम पुत्रगण हनुमानराम, जेनादेवी व तीजा पुत्रियें हनुमानराम तथा जिमनादेवी पत्नी हनुमानराम खातेदार के रूप में दर्ज हैं तथा कानाराम की जगह तुलछाराम पुत्र कानाराम व सायरी पत्नी कानाराम दर्ज हैं। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई जो बेचाननामे में क्रेता हैं उनका नाम खसरा नम्बर 1305 में बीजाराम का जो 1/3 हिस्सा था उसके साथ रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नामान्तरकण संख्या 882 के अनुरूप बेचानकर्ता बीजाराम के वारिस जो पद संख्या 5 में बताये गये हैं उनके साथ अपने हिस्से अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इस्तदुआ प्रार्थी निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी

30/9
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 1305 मौजा पीपाड़ शहर के बाबत नामान्तरकरण सं. 882 का अंकन जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2031 से 2034 में किये गये को आगे की जमाबन्दियो में अंकन किये जाने का आदेश सादिर फरमायें । वर्तमान जमाबन्दी में इस आशय का अंकन किये जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो प्रार्थी न्यायालय हाजा के राय में प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाया जावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में बैचान खसरा नम्बर 1305 में से बैचान दिनांक 19.07.1971 का नामान्तरण कमांक 882 का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 वादी गोरधनलाल पुत्र बस्तीराम का सहखातेदारो के नाम न्यायालय द्वारा जोड़ा जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया हैं कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1305 में नामान्तरण सं. 882 का अंकन जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2031 से 2034 में किये गये को आगे की जमाबन्दी में अंकन किये जाने निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1305 में जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में बैचान खसरा नम्बर 1305 में से बैचान दिनांक 19.07.1971 का नामान्तरण कमांक 882 का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 वादी गोरधनलाल पुत्र बस्तीराम का सहखातेदारो के नाम न्यायालय द्वारा जोड़ा जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही हैं।

आदेश

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर की जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में बैचान खसरा नम्बर 1305 में से बैचान दिनांक 19.07.1971 का नामान्तरण कमांक 882 का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 वादी गोरधनलाल पुत्र बस्तीराम का सहखातेदारो के नाम जोड़कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद करें।

(सुखराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(सुखराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर